कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना मस्तूरी, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट– एक

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना

क/1859/बा.वि.परि./नियुक्ति/2026–27 मस्तूरी, दिनांक 20-11-2026

छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास रायपुर का आदेश क्र.728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02.04.2008 के निर्देशानुसार, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि निम्नानुसार आं.बा. केन्द्र में रिक्त पद की पूर्ति की जानी है। इस हेतु आवेदन का प्रारूप परियोजना कार्यालय मस्तूरी/ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2026 से 08.12.2026 तक ऑनलाईन **https://aww.e-bharti.in** की वेबसाईट में जाकर आवेदन किया जा सकता है।

क	पर्यवेक्षक सेक्टर	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	आं.बा.केन्द्र का नाम	पद का नाम
1	जोंधरा	शिवटिकारी	शिवटिकारी	शिवटिकारी 02	आं.बा.कार्यकर्ता

आवेदन किए जाने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं हैं–

1. आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जावेगी। (1 वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह–सहायिका/ संगठिका को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जावेगी)
2. आवेदिका उसी ग्राम की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आं.बा. केन्द्र स्थित है (शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए)
3. निवासी होने के प्रमाण में (1) ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम एवं नगरीय क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके कमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे अथवा (2) ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का संयुक्त हस्ताक्षर अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जावेगा।

विशेषः– यदि किसी आवेदक के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य किया जावेगा। यदि निवास प्रमाण–पत्र हो तो संलग्न कर सकते हैं।

4. आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	12 वीं अथवा 11 वीं बोर्ड (पूर्ववर्ती) उत्तीर्ण 8 वींउत्तीर्ण

टीपः– कार्यकर्ता/सहायिका पद में उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता वाली आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान शिथिल कर कम शैक्षणिक योग्यता के आवेदन पर भी विचार किया जावेगा।

5. अनुभवी कार्यकर्ता/ सहायिका/ सहा–सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा, परित्यकता अथवा तलाक शुदा महिला होने पर अतिरिक्त अंक दिये जावेंगे।
6. परित्यकता के संबंध में निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जा सकते है–

1. ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही मान्य होगा।

अथवा

2. न्यायालय द्वारा जारी आदेश।
3. तलाकशुदा होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति।
4. यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त हो रही हो तो उसका प्रमाण पत्र।

विशेष :– परित्यकता महिला के संबंध में 2 वर्ष से अधिक की अवधि मान्य होगी

7. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र – राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सर्वे सूची में शामिल परीवारों से किया जावे। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सदस्य होने पर सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सूची एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण –पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. दावा आपत्ति के समय नवीन दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विचार नही किया जावेगा।
9. अनुसूचित जाति, जन जाति विभाग द्वारा संचालित शाला का नाम.....कन्या आश्रम में अध्ययन का प्रमाण–पत्र(स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)कक्षा.....वर्ष.....
10.कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका होने संबंधी पद जिस पर कार्य किया गया है..... कार्यअनुभव का विवरण(मय प्रमाण–पत्र) केन्द्र का नाम, परियोजना का नाम, कब से कब तक काम किया है।
11.जन्मतिथि प्रमाणक हेतु कक्षा 08 वी अथवा 10 वी अंकसूची संलग्न करें।
12.यह पद केवल महिलाओं/लड़कियो हेतु हैं।
13.कक्षा आठवीं का पूर्णांक/प्राप्तांक अंक सूची पर ही अंक प्रदाय की जावेगी। ग्रेडिंग A,B,C अंकसूची प्रस्तुत करने पर न्यूनतम अंक प्रदाय किया जावेगा।
14. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की आवेदिकाओं के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
15. आवेदन पत्र http://aww.e-bharti.in/ की वेबसाईट में जाकर अपनी पूरी जानकारी भरें एवं सभी दस्तावेजों में स्व प्रमाणित कर फाईल अपलोड करना अनिवार्य होगा।
16. आवेदन पत्र ऑनलाईन स्वीकार किये जायेंगे, ऑफलाईन आवेदन परियोजना कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
17. ऑनलाईन सुविधा हेतु http://aww.e-bharti.in/ की वेबसाईट में जाकर उपयोगकर्ता मैनुअल का उपयोग कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार आर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदक रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। आं.बा.कार्यकर्ता/सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जावेगा।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क/1860/बा.वि.परि./नियुक्ति/2026–27 मस्तूरी, दिनांक 20/11/26

प्रतिलिपि :–

1. जिला कार्यकम अधिकारी, मबावि जिला बिलासपुर को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मस्तूरी, को सूचनार्थ।
3. सरपंच ग्राम पंचायत शिवटिकारी को सूचनार्थ एवं सूचना चस्पा करवाने तथा कोटवार के माध्यम से मुनादी कराये जाने हेतु सम्प्रेषित।
4. संबंधित पर्यवेक्षक सेक्टर जोंधरा को सूचनार्थ एवं उपरोक्त संबंध में प्रचार प्रसार कराने एवं कोटवार के माध्यम से मुनादी कराये जाने तथा मुनादी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
मस्तूरी, जिला– बिलासपुर (छ.ग.)